से व प्रार्थीया रोशनी देवी उदर रोग से ग्रसित है जिनका लम्बे समय से मारवाड़ी अस्पताल बीकानेर से इलाज चल रहा है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को बीमारी की हालत में बेसहारा छोड़ दिया है। अप्रार्थीगण को समस्त स्त्रोतों से करीब 15–15 लाख रूपये वार्षिक आय हो रही है। प्रार्थीगण को इस मंहगाई के जमाने में 15–15 हजार रूपये कुल 30,000/–रूपये मासिक भरण पोषण की आवश्यकता है जो अप्रार्थीगण से दिलवाए जावें।

3– अप्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि"माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007" के अन्तर्गत भरण पोषण सम्बंधी प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार उपखण्ड मजिस्ट्रेट अधिकरण को प्राप्त है न कि उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। प्रार्थीगण पूर्णरूप से सम्पन्न है व परिवार के किसी भी सदस्य से किसी प्रकार की आर्थिक मदद की आवश्यकता नहीं है। परिवार के कुछ गलत लोगों के बहकावे में आने से पूर्व में काशीराम पुत्र जीयाराम के नाम से चक 7 एन.डी. में लगभग 12 बीघा कृषि भूमि थी जिसे सन् 2013 में अपनी पुत्री शारदा पत्नि मांगीलाल को जरिये बैयनामा हस्तान्तरित कर दी थी। इसी प्रकार रोशनी देवी ने भी अपने नाम की कृषि भूमि में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि दिनांक 18.08.2015 को दे दी। प्रार्थीगण के दोनों दामाद मांगीलाल व जयपाल ने प्रार्थीगण को अपने अनुचित दबाव में लिया हुआ है व अपना स्वार्थ सिद्व कर रहे हैं जिन्होनें प्रार्थीगण पर अनुचित दबाव बनाकर उनकी खातेदारी कृषि भूमि को अपनी पत्नियों के नाम हस्तान्तरित करवा लिया है व समय समय पर बहुत बड़ी नगद राशि भी दोनों दामाद प्रार्थीगण से प्राप्त कर रहे हैं व प्रार्थीगण का अपने पुत्रों अप्रार्थीगण से विरोध बनाए रखने के लिए षड़यंत्र कर रहे हैं। अप्रार्थीगण ने यह भी कथन किया कि प्रार्थना पत्र में असत्य कथन किये हैं। प्रार्थीगण की ऐसी स्थिति नहीं है कि उनका गुजर बसर न होता हो। प्रार्थीगण की देखभाल में भी कोई कमी नहीं है। प्रार्थीगण जिस जगह पर निवास कर रहे हैं वह भूमि प्रमोद कुमार अप्रार्थी के नाम से है जो कि प्रार्थीगण चक 25 एमओड के किला नं0 10 में बनी ढाणी में निवास कर रहे हैं। उक्त मकान में दो दुधारू पशु भी हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को सभी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। इसी घर से प्रार्थीगण ने अपने दोनों दामादों के प्रभाव में आकर दिनांक 02.06.2019 को अप्रार्थी संख्या–2 प्रमोद कुमार को घर से निकाल दिया। तत्पश्चात् वह अपनी पत्नि व बच्चों के साथ अपने भाई विनोद कुमार के साथ रह रहा है। अप्रार्थीगण के द्वारा ही माता पिता का इलाज करवाया जा रहा है। प्रार्थीगण की बीमारी में जो खर्चा लगा उसे अप्रार्थीगण ने ही वहन किया है। सन् 2003 से 2019 तक अप्रार्थीगण ने अपने पिता का इलाज गंगानगर के डॉक्टर एल.डी. भारद्वाज से करवाया गया है। सन् 2009 में तथा सन् 2011 में माता की आंखों का आपरेशन भी इन्दौर मध्य प्रदेश से करवाया है व समस्त खर्चों को वहन किया है। सन् 2017 में अप्रार्थीगण ने पिता के हरनिया का ऑपरेशन हनुमानगढ़ के डॉक्टर चावला से करवाया है। अप्रार्थीगण नेक नीयत हैं। यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की दोनों पुत्रीयों व दामादों ने परस्पर षड़यंत्र रचकर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत करवाया है जिसे निरस्त फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काशीराम की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कि प्रार्थी काशीराम के नाम चक 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा में जो 19 बीघा भूमि थी, वह पुश्तैनी थी। प्रार्थी के कुल पांच संतानें हैं। इस भूमि में से प्रार्थी के पुत्र प्रमोद कुमार ने 17 बीघा व विनोद कुमार ने 2 बीघा भूमि फर्जकारी करके जरिये दान पत्र अपने नाम करवा ली जिसके कारण प्रार्थी का पुत्र नरसी व दो पुत्रीयां कमला व शारदा अपने हिस्से से वंचित रह गई हैं। प्रार्थी के नाम चक 23 एमओडी के खाता संख्या 47/45 में 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि दर्ज थी जिसे उसके पुत्र विनोद कुमार ने फर्जकारी तरीके से जरिये दान पत्र

Web Copy Not Official

अपने नाम करवा ली। जबकि इस भूमि को प्रार्थी के पुत्र नरसीराम के नाम से वसीयत करवाने का इकरारनामा लिखकर दिया हुआ था। चक 23 एमओडी–बी के खाता संख्या 35/33 में तीनों पत्थरों की 15 बीघा भूमि प्रार्थी काशीराम ने अपनी साधुवाली रोही में 4 बीघा भूमि का बेचान कर खरीद की थी। इसमें 9 बीघा भूमि नरसीराम के नाम बैयनामा करवाने हेतु राजीनामा का इकरारनामा लिखकर दिया था। इस भूमि में साढ़े चार–साढ़े चार बीघा भूमि विनोद व प्रमोद ने अपने नाम फर्जकारी तरीके से बैयनामा करवा लिया व प्रमोद कुमार ने अपने हिस्सा की भूमि विनोद को दान कर दी। प्रार्थी की पत्नि श्रीमति रोशनी देवी के नाम से चक 23 एमओडी–बी में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि कमांड है जिसको अप्रार्थीगण अपने नाम करवाने के लिए उन्हें आये दिन तंग परेशान करते हैं। प्रार्थी की जो भी भूमि जरिये दान पत्र या बैयनामा विनोद व प्रमोद ने अपने नाम करवाई है उस समय प्रार्थी को यह विश्वास दिलाया था कि प्रार्थी व उसकी पत्नि को अपने साथ रखेंगे व पूरा भरण पोषण व दवा आदि करेंगे व अपनी बहनों को अपने घर नगदी, त्यौहार वगेरा आदि में लायेंगे। लेकिन अब अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसकी पत्नि को घर से बाहर निकालने की धमकी देते हैं व आये दिन झगड़ा फसाद करते हैं और दवाई भी नहीं दिलाते हैं व अपनी माता रोशनी देवी के नाम 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को उनके नाम करवाने के लिए धमकी देते हैं। अप्रार्थीगण ने धोखा करके प्रार्थी से उपरोक्त भूमि अपने नाम दान पत्र व बैयनामा से करवा ली है। अब प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नि वृद्व हो चुके हैं और गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। ऐसी स्थिति में प्रमोद व विनोद को करवाए गए बैयनामा व दान पत्र खारिज कर इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि वापिस प्रार्थी को दिलवाई जावे।

4– अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश को दिनांक 24.02.2020 को पारित करते हुए प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण काशीराम व रोशनी देवी को एक ईकाई मानते हुए प्रत्येक अप्रार्थी को 5000/–रूपये अर्थात कुल 10,000/–रूपये मासिक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रार्थीगण के खातों में जमा करवाए जाने के लिए आदेशित किया है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने इस न्यायालय जिसे अपील अधिकरण की शक्तियां विधि द्वारा प्रदत्त की गई है, अपील प्रस्तुत की गई है। अपील की शक्तियां उपरोक्त अधिनियम "माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007" जिसे निर्णय के आगामी भाग में "अधिनियम" कहा गया है, की धारा 16 के अन्तर्गत प्रावधित की गई है। प्रस्तुत अपील के मुख्य आधार यह प्रस्तुत किये गये हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन आदेश में अपीलार्थीगण के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर कोई विवेचना नहीं की व न ही उनका अभिनिर्धारण ही किया गया है। प्रत्यर्थीगण के पास 17–17 बीघा नहरी भूमि है व उनके पास आधुनिक तकनीक के साधन कृषि उपकरण हैं जिनको वे किराया आदि पर चलाते हैं व अच्छी आमदनी करते हैं। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पक्ष में मात्र 5–5 हजार रूपये भरण पोषण के आदेश दिये हैं जो बहुत ही कम हैं। अधीनस्थ न्यायालय को अपना आदेश पारित करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण के स्टेटस, अपीलार्थीगण की बीमारियों पर होने वाले खर्च, भोजन, रहन सहन आदि के खर्चो पर ध्यान रखना चाहिए था जो नहीं रखा गया। यह भी आधार लिया गया कि अपीलार्थीगण वृद्व हैं जो बीमारियों से ग्रसित हैं इनका अत्यधिक खर्चा है जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दवाईयों के खर्चे को नजरअंदाज किया है। प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण को घर से निकाल रखा है, सार सम्भाल नहीं कर रहे हैं। प्रत्यर्थीगण ने आपस में साज बाज कर अपने नाम से लगवा लिया है जो भूमि प्रार्थीगण के अन्य पुत्र व पुत्रीयों की थी, अपील के माध्यम से यह भी आधार लिया गया कि प्रत्यर्थीगण के द्वारा आदेश की पालना नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

की जा रही है व इससे उन्हें अत्यन्त शारीरिक व मानसिक पीड़ा हो रही है व अपीलार्थीगण के भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। अन्य आधार यह भी लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण ने कृषि भूमि को वापिस प्राप्त करने का अनुतोष चाहा था जिसके सम्बंध में प्रत्यर्थीगण ने कोई जवाब नहीं दिया है जिसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पक्ष में कृषि भूमि को वापिस देने के आदेश न देकर बड़ी भूल की है। यह भी कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का अवलोकन न कर यंत्रवत् आदेश पारित किया है व बहुत कम राशि देने का आदेश दिया है।

5— दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के द्वारा की गई बहस को गंभीरतापूर्वक सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य को अवलोकित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री गुरमेल सिंह ने अपील के द्वारा उठाये गये तथ्यों व आधारों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुख्यतः यह कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों प्रार्थीगण को मासिक 5–5 हजार रूपये का भरण पोषण दिलाए जाने सम्बंधी जो आदेश पारित किया गया है, ऐसा भरण पोषण पर्याप्त नहीं है। जबकि वे बीमार रहते हैं व बीमारी पर भी अत्यधिक खर्चा आता है। इसके अतिरिक्त इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्यर्थीगण ने फर्जकारी करके अपने नाम से जरिये दान पत्र 17–17 बीघा भूमि लगवा ली है जिसे भी वापिस दिलवाई जावे व ऐसे दानपत्रों को निरस्त किया जावे। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि प्रत्यर्थीगण ने उनके खातों में आदेशित भरण पोषण की राशियों को जमा नहीं करवाया गया है। इसके विरोध में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री बलविन्द्र सिंह ने बहस का जवाब देते हुए कहा कि उनके अभिभाष्यगण ने अपने माता पिता के साथ कोई धोखा नहीं किया है। अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण जो कि उनके पुत्र हैं, की सेवा भावना से प्रसन्न होकर उनके पक्ष में कृषि भूमि जरिये पंजीकृत दान पत्र अन्तरित की है। इसके साथ यह भी कहा गया कि कोरोना महामारी के काल में आर्थिक मंदी की वजह से भरण पोषण की राशि को नियमित रूप से जमा नहीं करवा पाए हैं जिसका अन्य कारण यह भी रहा है कि पिता के नाम का खाता के बन्द होने की सूचना बैंक से प्राप्त हुई थी इस वजह से भी उनके खाता में राशि को जमा नहीं करवाया जा सका। प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता की ओर से इस बात का खण्डन किया गया कि प्रत्यर्थीगण की ओर से अपने माता पिता की सार सम्भाल न की जा रही हो। जबकि उनके द्वारा उनका लगातार इलाज करवाया जा रहा है। उनका यह भी तर्क है कि राज्य सरकार की वरिष्ठजनों के स्वास्थ्य के सम्बंध में सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जा रहा है व मुफ्त दवाईयां भी दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि वे छोंटे किसान है जिनके खुद का भी अपना परिवार है जिनके भरण पोषण की जिम्मेवारी उन पर है। ऐसी स्थिति में निर्धारित भरण पोषण की राशि से अधिक राशि के भुगतान का आदेश पारित होने की स्थिति में उन्हें आर्थिक कठिनाईयों को सहना पड़ेगा।

6— कि उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क वितर्क पर मनन किया गया व समस्त स्थिति का गंभीरता से परिशीलन किया गया। दौराने बहस प्रत्यर्थीगण की ओर से न्यायालय के समक्ष निवेदन किया गया कि वे माह फरवरी 2021 तक देय समस्त राशियों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए उन्हें समय दिया जावे। न्यायालय की ओर से प्रत्यर्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई भरण पोषण की राशि को तत्काल जमा करवाए जाने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया व अपीलार्थीगण को भी अपीलार्थी संख्या–1 के नये बैंक खाता का विवरण उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया गया जन्होनें बहस के दौरान

अपीलार्थी काशीराम के नये बैंक खाता का विवरण प्रत्यर्थीगण को उपलब्ध करवाया। प्रत्यर्थीगण के द्वारा इस न्यायालय में दोनों अपीलार्थीगण के बैंक खातों में माह फरवरी 2021 तक की अवधि की निर्धारित भरण पोषण की राशि को जमा करवाए जाने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्धारित की गई भरण पोषण राशि अपर्याप्त है, मानने लायक कथन नहीं है। प्रत्यर्थीगण के पास कृषि भूमि की मात्रा को देखते हुए व उनके खुद के परिवार की स्थिति के तथ्य को ध्यान में रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्येक अपीलार्थी को 5–5 हजार रूपये प्रतिमाह की राशि दिये जाने का जो आदेश दिया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं पाई जाती है। वर्तमान परिवेश में यह राशि पर्याप्त प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा निर्धारित राशि को बढ़ाने की मांग को अस्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण ने पुनः अपीलार्थीगण को एक ईकाई मानते हुए जो आदेश पारित किया है वह विधिक दृष्टि से सही नहीं है बल्कि दोनों अपीलार्थीगण पृथक पृथक ईकाई ही है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थीगण की ओर से प्रत्यर्थीगण के पक्ष में पंजीकृत करवाये गये दान पत्रों को निरस्त करवाए जाने का जो अनुतोष चाहा है उसका आधार अपीलार्थीगण के साथ फर्जकारी किया जाना कहा गया है। प्रार्थीगण ने इस सम्बंध में कोई तात्विक विशिष्टियां प्रस्तुत करते हुए कथन नहीं किये हैं कि ऐसी फर्जकारी किस प्रकार से की गई है। जबकि फर्जकारी को साबित करने का सिद्वभार अपीलार्थीगण पर था। इसके अतिरिक्त किसी भी दस्तावेज को धोखा से अथवा फर्जकारी कर प्राप्त किये जाने की स्थिति में ऐसे दस्तावेजों को निरस्त करने की अधिकारिता महज सिविल न्यायालयों को ही प्राप्त है। उक्त अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत भरण पोषण अधिकरण को ऐसे विलेखों जैसे कि दान पत्र आदि को उस स्थिति में धोखा, प्रपीड़न या असम्यक् प्रभाव के अधीन निष्पादित व पंजीकृत करवाया जाना माना जाकर शुन्य घोषित किया जा सकता है, यदि ऐसे दस्तावेजों में यह शर्त अंकित हो कि ऐसे दान गृहिता सम्पति का अन्तरण करने वाले व्यक्ति की मूलभूत सुविधाओं व शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करेंगे व ऐसे अन्तरिती ऐसी सुविधाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल रहे हों। इस प्रकरण में ऐसी कोई साक्ष्य इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई है कि ऐसे दान पत्रों में इस प्रकार की कोई शर्त लिखित रूप में अंकित की गई हो और प्रत्यर्थीगण की ओर से अपने माता पिता की देखभाल व उन्हें भरण पोषित करने में किसी भी प्रकार की उपेक्षा व लापरवाही की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप करने की स्थिति इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2020 को बहाल रखते हुए अपील निरस्त किये जाने योग्य पाई जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्व प्रत्यर्थीगण सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश आज दिनांक को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : जाकिर हुसैन, IAS
अपील संख्या :– 1/2020

1. काशीराम उम्र 75 75 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी देवी पत्नि काशीराम उम्र 73 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एमओडी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. विनोद कुमार पुत्र श्री काशीराम आयु 40 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी (बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. प्रमोद कुमार पुत्र श्री काशीराम आयु 34 वर्ष जाति बिश्नोई निवासी चक 23 एमओडी (बी) तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—— प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–
1– श्री गुरमेल सिंह अधिवक्ता —— अपीलार्थीगण
2– श्री बलविन्द्र सिंह अधिवक्ता —— प्रत्यर्थीगण

:: निर्णय ::

दिनांक : 08.03.2021

1– उपरोक्त शीर्षक की अपील इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से ''माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007'' की धारा के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर, पीलीबंगा के द्वारा प्रकरण संख्या 4/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2020 जिसके द्वारा प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण वरिष्ठजनों के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण को एक ईकाई मानते हुए प्रत्येक अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को 5000/–रूपये मासिक अर्थात कुल 10,000/–रूपये मासिक की दर से प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रार्थीगण के खाता संख्या 61207210341 अथवा 61198142343 एस.बी.आई. शाखा गुरूसर मोडिया में प्रार्थीगण के जीवनकाल तक जमा करवाने के आदेश दिये गये हैं, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के ज्ञापन में वर्णित तथ्यों के अनुसार अपीलार्थीगण ने अंकित किया है कि प्रार्थी काशीराम के नाम चक 25 एमओडी के खाता संख्या 7/6 में 19 बीघा व चक 23 एमओडी के खाता संख्या 47/45 में 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि थी जिसमें से उसने अपने पुत्र प्रमोद कुमार के नाम चक 25 एमओडी की 7 बीघा और विनोद कुमार के नाम 2 बीघा व चक 23 एमओडी में 5 बीघा 5 बिस्वा भूमि विनोद कुमार के नाम दर्ज करवा दी। प्रार्थी ने अपने जीवनकाल में परिश्रम कर चक 23 एमओडी–बी के खाता संख्या 35/33 में 9.614 हैक्टेयर में से 15 बीघा भूमि खरीद की थी जिसे अपने दोनों पुत्रों विनोद कुमार व प्रमोद कुमार के नाम 4 बीघा 10 बिस्वा प्रत्येक को व पुत्री के नाम 3 बीघा 10 बिस्वा व पत्नि रोशनी के नाम 2 बीघा 10 बिस्वा जरिये बैयनामा खरीद की थी। प्रमोद कुमार ने अपने हिस्सा की साढ़े चार बीघा भूमि दान में विनोद कुमार को दे दी। प्रार्थी व उसकी पत्नि ने अपने हक व हिस्सा की कृषि भूमि व अन्य सम्पत्तियों का बंटवारा अपने पुत्रों में कर दिया था ताकि वे उनकी वृद्वावस्था में उनकी सेवा व देखभाल करे परन्तु बाद में वे उनकी उपेक्षा व तिरस्कार करने लगे व अपने परिवार को लेकर उनसे अलग रहने लगे। यह भी कथन किया कि प्रार्थी काशीराम हृदय रोग